FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सी

मन्दिर मूर्ति श्रीरामजी बनाम ओमर कंवर

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 251ए नं. 36 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
19-1-22	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीक उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 2-2-22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
02.02.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 21 व 22 की ओर से श्री रघुनाथ सिंह शेखावत एड0 ने जवाब हेतु न्यायहित में अन्तिम अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है एंव ना ही हाजिर अदालत ही उपस्थित आगे है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 21 व 22 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उपस्थित वकील प्रार्थी ने प्रकरण में पूर्व में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निर्णय पृथक से [illegible] द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय [illegible] वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत [illegible] धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 [illegible] जाकर अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है। [illegible] श्रीमाधोपुर को तहरीर [illegible] होकर बाद तकमील आदेश जारी हो। [illegible] दाखिल दफ्तर हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.17 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला–सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	:–	36 / 2021
जी0सी0एम0एस नम्बर	:–	2021 / 228
दायर दिनांक	:–	22.07.2021
निर्णय दिनांक	:–	02.02.2022

उनवान

मंदिर मूर्त्ति सीतारामजी विराजमान ग्राम नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) जरिए पुजारी राजेश शर्मा पुत्र श्री रामेश्वरलाल आयु 40 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

———प्रार्थी

बनाम्

1. अंतर कंवर पत्नि गिरवरसिंह आयु 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2. रामोतार पुत्र श्री कालूराम
3. बनवारी पुत्र कालूराम
4. खेमचन्द पु भूराराम
5. गोविन्दराम पुत्र भूराराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

6. जगमालसिंह पुत्र शोभसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
7. पतासी पुत्री गुमानाराम जाति जाट
8. बहादुरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह आयु 45 वर्ष जाति राजपूत
9. बालूराम पुत्र गुमानाराम जाति जाट
10. बीरबल पुत्र गुमानाराम जाति जाट
11. भागीरथ पुत्र गुमानाराम जाति जाट
12. हरिचन्द पुत्र स्व0 गुमानाराम जाति जाट
13. सीताराम पुत्र स्व0 गुमानासम जाति जाट
14. बालूराम पुत्र स्व0 गुमानाराम जाति जाट **(नाम हजफ दिनांक 12.01.2022)**

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.17 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

15. मनभर पुत्र भूराराम जाति जाट
16. मालीराम पुत्र स्व0 मोहनलाल जाति जाट
17. सुल्तान पुत्र स्व0 मोहनलाल जाति जाट
18. मन्नी देवी पत्नि स्व0 मोहनलाल जाति जाट
19. सुल्तान पुत्र स्व0 रामचन्द्र जाति जाट
20. शंकर पुत्र स्व0 रामचन्द्र जाति जाट
21. विजय पुत्र स्व0 रामनाथ जाति जाट
22. बिदामी देवी पत्नि स्व0 रामनाथ जाट
23. शंकरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत
24. सुभाष पुत्र स्व0 भानाराम जाति जाट
25. संदीप पुत्र स्व0 भानाराम जाति जाट
26. मनखोरी पत्नि स्व0 भानाराम जाति जाट
27. श्रवण पुत्र देबूराम जाति जाट
28. श्यामसिंह पुत्र स्व. सुप्यारकंवर एंव बजरंगसिंह जाति राजपूत
29. हाकिम पुत्र स्व. सुप्यारकंवर एंव बजरंगसिंह जाति राजपूत
30. सुरेश कुमार पुत्र रामधन जाति जाट
31. हरबक्स पुत्र भूराराम जाति जाट
32. गोरधन पुत्र नानूराम जाति माली
33. छीतरमल पुत्र गोरधन जाति माली
34. रतन पुत्र नानू जाति जाट(**नाम हजफ दिनांक 12.01.2022**)
35. मनभरी देवी पत्नि स्व. रतन जाति माली
36. सुरेश पुत्र स्व. रतन जाति माली
37. अजय पुत्र स्व. रतन जाति माली

निवासीगण ग्राम नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

38. पटवारी हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
39. तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.17 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण

—:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> ::—

उपस्थितिः—

1. **श्री कमल कुमार शर्मा, अभिभाषक —प्रार्थी**

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

2. श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, अभिभाषक –अप्रार्थी संख्या 21, 22
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी संख्या 39

:: निर्णय ::

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 347 रकबा 2.14 हैक्टर तन् ग्राम नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0) में स्थित है। जिसकी खातेदारी मंदिर मूर्त्ति सीताराम जी विराजमान ग्राम नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी उक्त मंदिर मूर्ति का पुजारी है। उक्त भूमि की सार सम्भाल काश्त कार्य आदि पुजारी द्वारा किया जाकर मंदिर मूर्ति की समस्त जिम्मेदारियां प्रार्थी पुजारी द्वारा निर्वहन की जा रही हैं व खसरा नम्बर 347/771 की खातेदारी हिस्सा 1/10 की प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में आने जाने हेतु ग्राम नांगलभीम से होता हुआ रास्ता खसरा नम्बर 319, 397 जो रिकार्ड में रास्ते में दर्ज है। उससे आगे खसरा नम्बर 352 व 348 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार होता हुआ खसरा नम्बर 347 व खसरा नम्बर 347/771 में जाने आने हेतु रास्ते की सख्त आवश्यकता हैं एंव अपने मंदिर मूर्त्ति की कृषि भूमि को काश्त आदि करने व फसल आदि को बाजार में ले जाने हेतु रास्ता 15 फुट चौड़ाई के रास्ते की सख्त आवश्यकता हैं। जिससे प्रार्थी मंदिर मूर्ति की भूमि में कृषि कार्य कर सके व ट्रैक्टर आदि ले जाने एंव काश्त कार्य करने में कोई असुविधा नही हो। प्रार्थी मंदिर की भूमि में जाने उक्त लघुतम रास्ता है एंव अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से प्रार्थी को सख्त हकतल्फी है व काश्त कार्य में असुविधा उत्पन्न हो रही है। प्रार्थी मंदिर भूमि में आने जाने हेतु उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। दिनांक 10.07.2021 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उक्त रास्ते को रिकार्ड में दर्ज कराने बाबत कंहा तो उन्होने इन्कार कर दिया है तथा कंहा कि इधर से कोई रास्ता नही है तथा ना ही मिलेगा। यदि रास्ता नही कटेगा तो प्रार्थी पुजारी मंदिर मूर्ति अपनी कृषिजोत से वंचित हो जावेगे। इसलिये कृषि जोत के लिये उक्त रास्ता [illegible] यकता परम आवश्यक है। इसलिये प्रार्थी पुजारी द्वारा मंदिर मूर्ति की ओर से [illegible] अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शर्तो की पालना करते हुए प्रार्थीगण कानूनी प्रावधानों की पूर्ति करने व डी.एल.सी. दर की राशि देने को तत्पर एंव तैयार होने से प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.17 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

की काश्त की भूमि में जाने हेतु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज, करवाया जाना आवश्यक है। इस कारण रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में अति आवश्यक होने से न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया है कि मंदिर मूर्ति श्री सीतारामजी विराजमान तन् ग्राम नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 347 व खसरा नम्बर 347/771 में आवागमन के लिये रास्ता नांगलभीम से होता हुआ रास्ता खसरा नम्बर 319, 397 जो रिकार्ड में रास्ते में दर्ज है। उससे आगे खसरा नम्बर 352 व 348 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे होता हुआ खसरा नम्बर 347 तक प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्ता 15 फिट चौड़ा खसरा नम्बर 347 में जाने आने हेतु रास्ते के रूप दर्ज किया जाकर उक्त 15 फुट चौड़ाई का रास्ता नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में अमल दरामद करवाये जाने का निवेदन किया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 4 लगायत 6, 15 लगायत 18, 23, 27, 31, 32, 35 लगायत 39 की नोटिस तामील असालतन व परिवार के निकटतम सदस्य के द्वारा प्राप्त कर लिये जाने से तामील हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 14 व 34 का नाम हजफ किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर नाम हजफ किया गया। अप्रार्थी संख्या 21 व 22 की ओर से श्री रघुनाथ सिंह शेखावत एड0 उपस्थित आये एंव जवाब प्रार्थना पत्र हेतु अवसर चाहा गया। जवाब हेतु न्यायहित में अंतिम अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है एंव ना ही हाजिर अदालत उपस्थित ही आये है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 21 व 22 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया एंव आदेशित किया गया कि वाके ग्राम नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 347 व खसरा नम्बर 347/771 में आवागमन के लिये रास्ता नांगलभीम से होता हुआ रास्ता खसरा नम्बर 319, 397 जो रिकार्ड में रास्ते में दर्ज है। उससे आगे खसरा नम्बर 352 व 348 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे होता हुआ खसरा नम्बर 347 तक प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्ता 15 फिट चौड़ा खसरा नम्बर 347 में जाने आने के रास्ते हेतु राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.17 11:51:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

02/02/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम संख्या 68–70 का अनुपालन करते हुए प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए निकटतम एंव लघुत्तम रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 1871/राजस्व/2021 दिनांक 17.08.2021 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम नांगल भीम के भूमि खसरा नम्बर 347 व 347/771 में खसरा नम्बर 352 व 348 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता चाहा गया है जिसके लिए भूमि खसरा नम्बर 352 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म बारानी–3 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे रास्ते का क्षेत्रफल 4.57 मीटर चौड़ाई व 360 मीटर लम्बाई इस तरह कुल 1645.20 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 348 रकबा 0.36 हैक्टर किस्म बारानी–2 में रास्ते का क्षेत्रफल 4.57 मीटर चौड़ाई व 80 मीटर लम्बाई इस तरह कुल 365.60 वर्गमीटर कुल रास्ते के उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि 2010.80 वर्गमीटर है। प्रस्तावित रास्ता गांव व मुख्य आबादी व सड़क से दूर अवस्थित होकर उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होने तथा उक्त रास्ता लघुत्तम होने बाबत अवगत कराया है। प्रस्तावित रास्ते की जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस संलग्न किया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एंव उसकी डी0एल0सी0 दर सिंचित भूमि 1088610/– रूपये (खसरा नम्बर 348) व असिंचित भूमि 885260/– रूपए (खसरा नम्बर 352) प्रति हैक्टर की दर से गणना की जाकर भूमि खसरा नम्बर 352 में से 4.57 X 360 = 1645.20 वर्गमीटर, डी0एल0सी0 दर की दुगुनी राशि = 291286/- रूपयें, भूमि खसरा नम्बर 348 में से 4.57 X 80 = 365.60 वर्गमीटर, डी0एल0सी0 दर की दुगुनी राशि = 79600/- रूपयें अर्थात कुल राशि 3,70,886/– रूपये (तीन लाख सतर हजार आठ सौ छियासी रूपये मात्र) बनती है।

प्रार्थी ने प्रकरण में पूर्व में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण का आज ही निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थी के आवागमन हेतु कोई रास्ता मौजूद नहीं होने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता जो लाल स्याही से दर्शित है से सहमति व्यक्त करते हुए वर्तमान में प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी राशि पर रास्ता उपलब्ध कराने में कोई एतराज नहीं होने बाबत अवगत कराया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.17 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की कुल जमा योग्य राशि 370886/–रूपये मात्र है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी

20/01/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

खातेदारी आराजियात पर पहुँचने हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार कुल 2010.80 वर्गमीटर भूमि हेतु प्रतिकर राशि 370886/– रूपये नियमानुसार देय बनते है।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को स्वीकार किया जाता है एंव आदेश दिया जाता है कि वाके राजस्व ग्राम नांगल भीम के भूमि खसरा नम्बर 347 व 347/771 में खसरा नम्बर 352 व 348 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे चाहे गय रास्ते हेतु भूमि खसरा नम्बर 352 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म बारानी–3 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे रास्ते का क्षेत्रफल 4.57 मीटर चौड़ाई व 360 मीटर लम्बाई इस तरह कुल 1645.20 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 348 रकबा 0.36 हैक्टर किस्म चाही जाव व बारानी–2 में रास्ते का क्षेत्रफल 4.57 मीटर चौड़ाई व 80 मीटर लम्बाई इस तरह कुल 365.60 वर्गमीटर कुल रास्ते के उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि 2010.80 वर्गमीटर 4.57 वर्गमीटर चौड़ाई का रास्ता जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर की मौका रिपोर्ट में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग मानते हुए रास्ता नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया है के अनुसार कुल 2010.80 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड की जावें जिसमें रास्ते की चौड़ाई 4.57 मीटर से अधिक न हो एंव इस हेतु प्रार्थीगण से प्रतिकर कुल राशि 3,70,886/– रूपये (तीन लाख सतर हजार आठ सौ छियासी रूपये मात्र) वसूल की जाकर नियमानुसार राज्यकोष में जमा किये जावें एंव तत्पश्चात् राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम करवाई जावे। उक्त प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावें। प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग मानते हुए रास्ता अंकित नजरी नक्शा प्रमाणित अंकन किया जाकर निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.17 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थीगण से रास्ते हेतु प्रतिकर कुल राशि 3,70,886/– रूपये (तीन लाख सतर हजार आठ सौ छियासी रूपये मात्र) वसूल की जाकर नियमानुसार राजकोष में जमा किये जाकर अप्रार्थीगण को

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उनके हक हिस्से अनुसार भुगतान करते हुए वाके ग्राम नांगल भीम पटवार हल्का नांगल हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 352 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म बारानी–3 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे रास्ते का क्षेत्रफल 4.57 मीटर चौड़ाई व 360 मीटर लम्बाई इस तरह कुल 1645.20 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 348 रकबा 0.36 हैक्टर किस्म चाही जाव व बारानी–2 में रास्ते का क्षेत्रफल 4.57 मीटर चौड़ाई व 80 मीटर लम्बाई इस तरह कुल 365.60 वर्गमीटर कुल रास्ते के उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि 2010.80 वर्गमीटर 4.57 वर्गमीटर चौड़ाई का रास्ता मौका रिपोर्ट में रास्ते हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार कुल 2010.80 वर्गमीटर भूमि बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड किया जावे। रास्ते की अधिकतम चौड़ाई 15 फीट से अधिक नहीं हो एंव नक्शे में आवश्यक तरमीम की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

02/02/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 02.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/02/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.17 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested